तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4.9.17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। संशोधित टाईटल पेश करने हेतु दिनांक 10.10.17 को पेश हो। SDO Sarwar
10.10.17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। संशोधित टाईटल पेश करने हेतु दिनांक 28.11.17 को पेश हो। SDO Sarwar
28.11.17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। संशोधित टाईटल पेश करने हेतु मिसल दिनांक 28.1.17 को पेश हो। SDO Sarwar
30.1.18	दिनांक 28.1.18 को [illegible] होने से पत्रावली पेश की गई। P.O. साहब बाहर पधारे हैं मिसल दिनांक 28.2.18 को पेश हो। वकील वादी हाजिर।
28.2.18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। संशोधित टाईटल पेश करने हेतु मिसल दिनांक 17.4.18 को पेश हो। SDO Sarwar
17.4.18	पत्रावली पेश हुई। न्याय आपके द्वार अभियान 2018 की तेहत राजस्व केम्प में राजीनामा हेतु दिनांक 6.6.18 ग्रां पं [illegible] को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सरवाड़
06-06-18 अ.नि. कल्याण अ.नि. मन्नी अ.नि. बद्री	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वादी कल्याण, बद्री, मुन्नी हाजिर सुना गया संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सापुन्दा की जमाबंदी संवंत 2051 के खाता सं. नया-पुराना 265-250 खसरा न. 765/439 रकबा 25-03-00 बारानी 3 के पुराने खसरे नं. 439/1 रकबा 67 बिघा 01 बिस्वा गैर मुमकिन डापर था जो श्रीमती दुर्गाबाई जो सुगन कंवर पत्नी श्री रणमल सिंह की खातेदारी की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04-09-76 को प्रार्थी सं. 1 बद्री व प्रार्थी संख्या 2 के लगायत 4 के पति व पिता बिरदा पुत्र श्री हरलाल जाति गुर्जर नि. सापन्दा त. सरवाड़ ने 2500 रु. में खरिद ली थी। ये विक्रय पत्र सब रजिस्ट्रार सरवाड़ के कार्यालय में दिनांक 16-09-76 को पुस्तक सं. 1 कि

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-	जिल्द सं. 32 पृष्ठ सं 15, 16 क्र.स. 381 प्रार्थी सं. 1 बद्री व बिरदा पिसरान हरलाल गुर्जर के हक में पंजीबद्ध किया गया।	
	बिरदा पुत्र हरलाल गुर्जर क्रेता व श्रीमती ठकुरानी जी साहब सुगन कँवर जी का स्वर्गवास हो गया है। किन्तु उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के नाम इन्द्राज नहीं किया गया। सुगन कँवर जी के वारिसान अप्रार्थी सं. 1 से 8 के नाम दर्ज कर दिया जो गलत है। अतः वादीगण ने वादपत्र अपने पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु पेश किया है।	
	अतः वादी का वाद खातेदारी घोषणा बाबत 88, 89 92A, 188, 209 RTA के तहत पेश किया गया है।	
	वस्तुतः यह वाद प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का विक्रय फ्रेगमेंट में होने से नामान्तकरण खुलना नहीं पाया जाता है। अतः तहसीलदार सरवाड़ मौके की जांच करें तथा कब्जा तथा विक्रय पत्र के अनुसरण में नामान्तकरण की कार्यवाही करें। फ्रेगमेंट के नियम के तहत नामान्तकरण के प्रावधान राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में हटा दिए गए हैं।	
	1 खर्चा फरिकैन अपना-अपना वहन करें।	
	निर्णय मजमें आम में सुनाया गया।	
	सदस्य लोक अदालत शिविर सरवाड़ (अजमेर) अध्यक्ष लोक अदालत शिविर सरवाड़ (अजमेर) सदस्य लोक अदालत शिविर सरवाड़ (अजमेर)	

Scanned by CamScanner